Dr. Deepika Taterway
Home science (Dept.)

Semester 4th
GE – Human Rights
Unit – 2nd
(A)Evolution of Concept of The Human Rights
The French Declaration of Man and the citizens
United State Bill of Rights
Zeneva Convention of 1864
Universal Declaration of Human Rights 1948

फ्रांस के मानवी य अधिकारों की घोषणा The French Declaration of The Rights of man and citizens

फ्रांस के मानवीय अधिकारों की घोषणा जैक जेफरसन के परामर्श से एवं मार्कवीस डी की लॉकेट द्वारा 1789 ईसवी में तैयार किया गया था यह घोषणा फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण चरणों में गिनी जाती है यह सिर्फ एक घोषणा पत्र ही नहीं था बल्कि यह फ्रांस के संविधान निर्माण की प्रस्तावना के रूप में भी सामने आई।

घोषणा पत्र में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है:-

- अनुच्छेद 1- पुरुष जन्म लेते हैं और अधिकारों स्वतंत्र और समान रहते हैं। सामाजिक भेद केवल सामान्य उपयोगिता पर स्थापित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 1 का तात्पर्य यह है कि सभी पुरुषों को सामान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया जाए।

- अनुच्छेद 2- किसी भी राजनीतिक संघ का लक्ष्य मनुष्य के प्राकृतिक और प्रतीकात्मक रूप से यानी अदृश्य अधिकारों का संरक्षण है। यह अधिकार उत्पीड़न के खिलाफ स्वतंत्रता संपत्ति सुरक्षा और प्रतिरोध हैं।

अनुच्छेद 2 के द्वारा पुरुषों को समान रूप से संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया।

- अनुच्छेद 3 – किसी भी संप्रभुता का सिद्धांत मूल रूप से राष्ट्र में रहता है। कोई निकाय कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं छोड़ सकता है जो इससे स्पष्ट रूप से बाहर नहीं निकलता है।

अनुच्छेद 3 के द्वारा यह बताया गया है कि कोई भी अधिकार राष्ट्र से ऊपर नहीं होगा अगर राष्ट्र हित में आपके अधिकारों को अगर छीना जाता है तो यह गलत नहीं है

- अनुच्छेद 4 – स्वतंत्रता में कुछ भी करना शामिल है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के उपयोग में केवल वह सीमाएं हैं जो समाज के अन्य सदस्यों को इन समान अधिकारों का आनंद देने का आश्वासन देती हैं। इन सीमाओं को केवल कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4 द्वारा यह बताया गया है कि यदि आपके अधिकार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को हानि हो या पीड़ा पहुंचे तो या कदाचित उचित नहीं है।

- अनुच्छेद 5 – कानून में वार्ड अर्थात निषेध केवल कार्य जो समाज के लिए हानिकारक है का अधिकार है। कोई भी चीज जो कानून द्वारा अर्थात निषेध द्वारा नहीं की जाती है कोई भी ऐसा करने के लिए विवश हो सकता है अर्थात कानून आदेश नहीं देता है।

अनुच्छेद 5 द्वारा यह घोषणा की गई है कि यदि आपके अधिकारों द्वारा समाज में किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो आपके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- अनुच्छेद 6 - कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके गठन में योगदान करने का अधिकार है। यह सभी के लिए समान होना चाहिए या तो यह रक्षा करता है यहां कि वह दंड देता है सभी नागरिक इस की दृष्टि में समान होने के नाते सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठा स्थानों और रोजगार के लिए समान रूप से स्वीकार्य हैं उनकी क्षमता के अनुसार उनके गुणों के अलावा और उनकी प्रतिभा के बिना भेद के बिना।

  अनुच्छेद 6 के द्वारा हर व्यक्ति को समान कानूनी अधिकार प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है।

- अनुच्छेद 7 – किसी भी व्यक्ति को आरोपी गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित मामलों में उन रूपों के अनुसार जो इसे निर्धारित

किया गया है। जो लोग मनमाना आदेश देते हैं उन्हें भेजते हैं ले जाते हैं या दंडित करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए लेकिन किसी भी नागरिक को बुलाया जाता है अर्थात बुलाया गया या कानून की शर्तों के तहत जब्त किया जाना चाहिए वह प्रतिरोध द्वारा खुद को दोषी मानता है।
अनुच्छेद 7 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और ना ही सजा दी जा सकती है जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए।

- अनुच्छेद 8 –कानून को केवल कढ़ाई से और स्पष्ट रूप से आवश्यक दंड स्थापित करना चाहिए और किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है लेकिन अपराध से पहले स्थापित और प्रत्यय स्थापित जो है कानूनी रूप से लागू किया गया है।
  अनुच्छेद 8 के तहत बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसके अपराध को ध्यान में रख कर दिया जाता है।

- अनुच्छेद 9 – किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जा रहा है जब तक कि उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाता है यदि उसे गिरफ्तार करने के लिए अपरिहार्य न्याय किया जाता है तो कोई भी कठोर अर्थात कार्रवाई जो उसके व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक नहीं होगा कानून द्वारा उसे कड़ी फटकार लगाई जानी चाहिए।

  अनुच्छेद 9 द्वारा यह बताया गया है कि यदि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाए तो जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उस बंदे को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।

- अनुच्छेद 10 – किसी से उसकी राय के बारे में पूछताछ नहीं की जा सकती है और वही के लिए धार्मिक राय बशर्ते कि उनके व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक आदेश को परेशान ना करें।

  अनुच्छेद 10 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति को उनके धर्म को मानने एवं धार्मिक विचार को प्रकट करने

का अधिकार तब तक है जब तक कि वह सामाजिक हित में हो।

- अनुच्छेद 11 – विचारों का और विचारों का मुक्त संचार मनुष्य के सबसे अनमोल अधिकारों में से एक है कोई भी नागरिक इस प्रकार बोल सकता है लिख सकता है और स्वतंत्र रूप से प्रिंट कर सकता है बचा सकता है अगर यह आवश्यक है इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग का जवाब देने के लिए कानून द्‌वारा निर्धारित मामले।
  अनुच्छेद 11 द्‌वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति को संचार स्थापित करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

- अनुच्छेद 12 - मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की गारंटी के लिए एक सार्वजनिक बल की आवश्यकता होती है अर्थात एक पुलिस बल इस बल को इस प्रकार के सभी लाभ के लिए स्थापित किया जाता है ना कि उन लोगों की विशेष उपयोगिता के लिए जिन्हें इसे स्वीकार किया जाता है।
  अनुच्छेद 12 द्‌वारा मनुष्य एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैन्य बलों की स्थापना करने की चर्चा की गई है।

- **अनुच्छेद 13 –सार्वजनिक बल के रखरखाव और प्रशासन के वह के लिए एक समान योगदान अपरिहार्य है इसे सभी नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए उनके संकाय के कारण अर्थात भुगतान करने की क्षमता।**
  अनुच्छेद 13 द्वारा सभी व्यक्तियों को सरकारी कर देने की व्यवस्था की गई है।

- **अनुच्छेद 14 –प्रत्येक नागरिक को अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक योगदान की आवश्यकता निशुल्क सहमति रोजगार के बाद योगदान और भागफल का निर्धारण करने का अधिकार है यानी शेयर मूल्यांकन ठीक होने अर्थात संग्रह और अवधि।**
  अनुच्छेद 14 द्वारा नागरिकों को अपने करो के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा।

- **अनुच्छेद 15 - समाज को अपने अर्थात समाज के प्रशासन के किसी भी सार्वजनिक एजेंट से एक खाता आई एन जी का अनुरोध करने का अधिकार है।**

अनुच्छेद 15 के तहत एक प्रशासनिक खाते की व्यवस्था की चर्चा की गई है।

- अनुच्छेद 16 – कोई भी समाज जिसमें अधिकारों की गारंटी का आश्वासन नहीं दिया गया है और ना ही निर्धारित शक्तियों का पृथक्करण संविधान का एक सा नहीं है।
  अनुच्छेद 16 द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के पालन करने का आश्वासन दिया जाना अनिवार्य है की चर्चा की गई है।

- अनुच्छेद 17 – संपत्ति एक अदृश्य और पवित्र अधिकार होने के नाते किसी को भी निजी उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है अगर ऐसा नहीं है जब सार्वजनिक आवश्यकता कानूनी तौर पर उल्लेख किया गया है जाहिर है इसकी आवश्यकता है और एक न्याय संगत और पूर्व अनिश्चितता की स्थिति के तहत अर्थात मुआवजा।
  अनुच्छेद 17 द्वारा हर व्यक्ति को संपत्ति रखने के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है।

इस घोषणापत्र की सबसे बड़ी कमी थी कि इसने संपूर्ण समाज को निष्क्रिय और सक्रिय सदस्य में विभाजित कर दिया था सक्रिय सदस्यों में पुरुषों को रखा गया था और निष्क्रिय सदस्यों में महिलाओं को इस घोषणापत्र में पुरुषों के अधिकारों की विवेचना की गई परंतु महिलाओं के अधिकारों की किसी प्रकार की विवेचना नहीं की गई।

- **अमेरिकी अधिकारों का विधेयक United State Bill of Right**

American Bills of Right अर्थात अमेरिकी अधिकारों का विधेयक अमेरिकी संविधान में किए गए 10 संशोधन थे जिसके अंतर्गत अमेरिका के सरकार के शक्तियों पर नियंत्रण किया गया था एवं जनता के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। इस विधेयक को जेम्स मेडिसन द्वारा सन 1789 ईस्वी में संसद के समक्ष प्रस्तावित किया गया था तत्पश्चात 25 सितंबर 1789 ईसवी को इन विधेयकों को पारित किया गया जिन्हें बाद में 15 दिसंबर 1791 ईस्वी को कानून के रूप में परिणत कर दिया गया।

अमेरिकी अधिकारों के विधेयक के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 10 संशोधनों की विवेचना की गई है :-

- प्रथम संशोधन – सरकार धर्म के संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी। ना किसी धर्म को किसी रूप में स्थापित किया जाएगा ना किसी धर्म को रोकने का कोई प्रयास किया जाएगा। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी के भी कुछ बोलने पर रुकावट हो। अखबारों और प्रेस की बोलचाल पर किसी भी प्रकार की रोक लगाना वर्जित है। नागरिकों के शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार पर कोई रोक नहीं होगी। नागरिकों के सरकार से किसी अन्याय की दुहाई देकर उसे सही करने की मांग करने पर कोई रोक नहीं होगी।

- दूसरा संशोधन – किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नियमित सशस्त्र बल की आवश्यकता है इसलिए नागरिकों के हथियार रखने के अधिकार पर कोई रोक नहीं होगी।

- तीसरा संशोधन – शांति के समय किसी भी सैनिक को किसी भी घर में बिना घर के मालिक की आजाद आना अनुमति के रखना मना होगा। युद्ध के समय सैनिक किसी घर में केवल कानूनी ढंग से रह सकते हैं।

- चौथा संशोधन – किसी के बदन घर कागजात और अन्य संपत्ति की अकारण तलाशी लेना या उसे जब्त करना मना है। अगर तलाशी लेना या जब्त करने का कोई उचित कारण है जो यह केवल कानूनी ढंग से अधिपत्र या वारंट लेकर ही किया जाएगा और इस अधिपत्र को बनवाने के लिए कारण को बताना और शपथ लेकर उसकी सच्चाई जतलाना आवश्यक है।

- पाँचवाँ संशोधन – जोगिया जल संकट की स्थिति में लड़ने वाले व्यक्तियों को छोड़कर किसी व्यक्ति पर भी किसी मृत्युदंड योग्य अपराध का आरोप बिना बड़ी अदालत में निर्णायक जूरी द्वारा सुनवाई और तहकीकात के बिना सही नहीं ठहराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति पर एक ही आरोप को लेकर 1 से अधिक दफा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। किसी पर भी अपने ही विरुद्ध गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी को भी उचित न्याय कार्यवाही के बिना अपनी स्वतंत्रता जीवन या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी निजी संपत्ति को बिना उचित मुआवजे के जन प्रयोग के लिए लेना निषेध है।

- **छठा संशोधन –** हर अपराध की कार्रवाई में मुलजिम जिस पर आरोप लगा हो के साथ शीघ्रता से और बिना किसी रहस्य में क्रिया के न्याय किया जाएगा। मुकदमे के लिए चुनी गई दूरी में निष्पक्ष व्यक्ति शामिल होंगे। मुलजिम को स्पष्ट शब्दों में उस पर लगे आरोप के बारे में बताया जाएगा। किसी पर भी छुप कर आरोप नहीं लगाया जाएगा आरोप लगाने वाले को अदालत में मुलजिम के सामने आरोप लगाना होगा। हर मुलजिम को वकील की सहायता मिलेगी।

- **सातवां संशोधन –** वह कानूनी कार्रवाई या जिसमें कोई भी अपराध विषय नहीं है जैसे कि विक्रेता उपभोक्ता में मतभेद लेकिन जिस में $20 से अधिक राशि दांव पर है उनमें मुकदमा लड़ने वालों को जूरी द्वारा न्याय करवाने का अधिकार होगा। किसी मुकदमे में अगर जूरी फैसला सुना दे उसे अमेरिका के किसी न्यायालय द्वारा दोबारा पेश करना वर्जित है।

- **आठवां संशोधन –** किसी भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति से उचित से अधिक जमानत नहीं मांगी जाएगी। किसी को भी क्रूर या अजीब दंड देना वर्जित है।

- **नवा संशोधन –संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं वह पूरे नहीं है यानी सरकार के लिए यह जतलाना वर्जित है कि अगर कोई अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है तो वह नागरिकों को प्राप्त नहीं है।**

- **10 वा संशोधन - अमेरिकी केंद्रीय सरकार को केवल वही शक्तियां उपलब्ध हैं जो इस संविधान में दी गई है। अन्य सभी शक्तियां या तो राज्य सरकारों को मिली है या फिर नागरिकों में ही निहित है।**

उपरोक्त अमेरिकी संविधान में हुए संशोधनों द्वारा मानवीय अधिकारों को पूरे विश्व के समक्ष रखा गया एवं उन्हें प्रदान किए जाने की मांग की गई।

- **जिनेवा सम्मेलन,1864 Geneva Convention of 1864**

जिनेवा सम्मेलन की प्रस्तावना द्वितीय विश्व युद्ध के समय सामने उभर कर आई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुई

रक्तपात की विभीषिका के परिणाम स्वरूप सैनिकों के मार्मिक की स्थिति को देखते हुए जिनेवा सम्मेलनों की शुरुआत हुई। इन सम्मेलनों के अंतर्गत युद्ध से संबंधित मानवीय नियम स्थापित किए गए हैं एवं सैनिकों को विशेष मानवीय अधिकार दिए गए। सबसे पहला जिनेवा सम्मेलन 1864 ईसवी में जिनेवा नामक स्थल पर यूरोपीय देशों के मध्य हुआ इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया कि युद्ध में इतनी क्रूरता नाम बढ़ती जाए कि इंसानियत वह मानव अधिकार को शर्मसार होना पड़े।

जिनेवा सम्मेलनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है :-

- प्रथम चरण 1864 जिनेवा सम्मेलन

  जिनेवा कन्वेंशन 1864 पहला जिनेवा सम्मेलन था जो 22 अगस्त 1864 को हुआ था। इस सम्मेलन के अंतर्गत प्रमुख संधि एवं तीन प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है।

- दूसरा चरण 1906 का जेनेवा सम्मेलन

  इस सम्मेलन के अंतर्गत समुद्री युद्ध और उससे जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया। इसमें समुद्र में घायल

बीमार और जलपोत वाले सैन्य कर्मियों की रक्षा और उनके अधिकारों की बात की गई।

- तीसरा चरण 1929 का जेनेवा कन्वेंशन

  यह चरण युद्ध के कैदियों यानी युद्ध बंदियों पर लागू हुआ है जिन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कहां गया है। इस कन्वेंशन में कैद की स्थिति और उसके स्थान को सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें युद्ध बंदियों के श्रम वित्तीय संसाधनों का जिक्र और राहत और न्यायिक कार्रवाई के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें युद्ध बंदियों को बिना देरी के रिहा करने का भी प्रावधान किया गया है।

चौथे चरण 1949 का जिनेवा सम्मेलन

इस सम्मेलन के अंतर्गत युद्ध वाले क्षेत्र के साथ-साथ वहां के नागरिकों को भी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसमें युद्ध के आसपास के क्षेत्रों में भी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना किया जा सके। चौथा जेनेवा कन्वेंशन के नियम व कानून 21 अक्टूबर 1950 में लागू किए गए।

इस प्रकार हम पाते हैं कि जिनेवा सम्मेलन मुख्य रूप से युद्ध बंदियों एवं सैनिकों के लिए मानवीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए थे। जेनेवा सम्मेलनों में या मुख्य रूप से निर्धारित किया गया है कि युद्ध बंदियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए साथ ही सैनिकों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी। इसमें तौर पर यह बताया गया है कि युद्ध बंदियों के क्या अधिकार है साथ समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात भी कही गई है। इस संधि के तहत युद्ध रत सैनिकों को खाना-पीना और जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराए जाने की बात कही गई है।

- **सर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र Universal Declaration of Human Rights, 1948**

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद उसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद की पहली बैठक में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। 1948 को समाप्त हो गया और 10

दिसंबर 1948 को राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना विरोध के स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी घोषणा में कहा है कि सभी देशों और सभी राष्ट्रों में प्रत्येक मनुष्य और समाज के प्रत्येक संस्था के अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान समान आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार पत्र को ध्यान में रखकर सभी देशों और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिए इन अधिकारों की व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आधार पर की जाएगी एवं इनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र में विश्व के समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र में विश्व के समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण धाराओं के तहत दर्शाया गया है इन महत्वपूर्ण धाराओं में निम्नलिखित मानवीय अधिकारों की विवेचना की गई है :-

धारा 1 एवं 2 में कहा गया है कि मनुष्य जन्म स्वतंत्र है अतः सभी मनुष्य को समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार है एवं सभी मनुष्य को समान स्वतंत्रता के अधिकारों को पाने

का अधिकार है मनुष्य में किसी प्रकार के जाति वर्ण लिंग भाषा धर्म राजनीति अथवा अभिमत राष्ट्रीयता सामाजिक उत्पत्ति संपत्ति जन्म पद आदि का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धारा 3 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ना दास बनाकर रखा जाए नहीं दासो की खरीद बिक्री हो। धारा 4 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा ना दी जाए नहीं उनका अपमान किया जाए। धारा 5 के अंतर्गत सभी का व्यक्तियों को कानूनी दृष्टिकोण से समान समझे जाने की विवेचना की गई है धारा 6 के अंतर्गत कानूनी दृष्टि से सभी मनुष्य समान है एवं उन्हें बिना किसी भेदभाव से कानूनी संरक्षण पाने के अधिकार की विवेचना की गई है। धारा 7 के अंतर्गत यदि किसी मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वह इसके विरुद्ध न्याय संबंधी कार्यवाही कर सकता है। धारा 8 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने और नगर बंद करने पर एवं निष्कासित करने पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कई और महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसके अंतर्गत मानव को समस्त विश्व के आधार पर विशेष मानव अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य को

स्वेच्छा पूर्वक अपनी राज्य सीमा के अंदर या अपने मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकार है साथ ही साथ दूसरे देशों में जाने का वहां बसने का एवं वापस लौटाने का भी अधिकार है परंतु यदि किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का न्याय संबंधी मुकदमा चल रहा हो तो वह अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में नहीं जा सकता है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता पाने का धर्म परिवर्तन का विवाह करने का दूसरे स्थानों में जाकर कार्य करने का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों की विवेचना सर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार पत्र में की गई है।